फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़

राजेन्द्र प्रसाद यादव बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़

किस्म मुकदमा अपील सूचना अधिकार 2005 प्रकरण संख्या 59/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16.10.2024	आज यह अपील अपीलार्थी की ओर से जरिये ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रत्यर्थी को नोटिस जारी हो कि अपीलार्थी के आवेदन का 10 दिवस में विधिवत विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित करें व अपील का जवाब बिन्दूवार दिनांक 29.10.2024 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवायें। प्रत्यर्थी से सूचना देने में हुए विलंब का भी कारण मांगा जावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे कि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो उक्त दिनांक को उपस्थित होवें। पत्रावली दिनांक 29.10.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
29/10/24	पत्रावली आज पेश हुई प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण का अवलोकन करने पर अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिये जाते है। विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	

निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 59/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

राजेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम–पोस्ट माजरी कलां तहसील– नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 29.10.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/1839 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा अवगत कराया अपीलार्थी के दिनांक 25.07.2024 के आवेदन पत्र के संबंध में पंचायत शाखा कलेक्ट्रैट कोटपूतली–बहरोंड़ को नियत समय में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक 1298 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा लिखा जाकर प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा सूचित किया गया। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उत्तर की एक प्रति प्रार्थी को भिजवाये जाने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालय को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है, प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई है या नहीं इसका पत्रावाली में कोई रिकार्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से प्रत्यर्थी (राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड) को नियमानुसार वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपी 15 दिवस में दिये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर),
कोटपूतली बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़